

रूप कर्मांक २

(वर्तिये नियम ७)

मध्यप्रदेश शासन



समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

दिनांक १६६५/११
कर्मांक ४६/६८५४ विदेशी

यह प्रमाणित किया जाता है कि समिति जो पृष्ठा ४६/६८५४, तहसील तुक्रा,
जिला मोराया में स्थित है, मध्यप्रदेश
तोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७२ का कर्मांक ४४)
के अधीन ३।८।४। को पंजीयित की गई है।

दिनांक २५ नवमी १९८५ वाह भूतानि सन् १९८५ ११

शुभा

समितियों के रजिस्ट्रार

"भूजुके शिक्षांक" - १

(देखिये नियम - ३)

समिति के पंजीयन हेतु ज्ञापन पत्र

संशोधित

1. समिति का नाम : चौहान एन्जुकेशन सोसायटी होगा।
2. संस्था का कार्यालय : दी-२४४, नेटर नगर, कोटा सुल्तानाबाद
लड़ हुजुर मिला भोपाल मध्य. स्थित होगा।
3. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे -
 (1) शिक्षा का प्रसार-पृथक करना।
 (2) अर्थिक रूप से पिछड़े एवं अनुजाति एवं जनजाति के लाभ-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।
 (3) नविनी एवं बाल विकास कार्यक्रम।
 (4) पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण ऐनु पृथक्षोण का कार्य एवं उपयोगी शिक्षा देना।
 (5) इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्प्यूटर के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान कर औद्योगिक देशों को निए उपर्युक्त शिक्षा प्रशिक्षण।
 (6) ज्ञानकीय नीतियों वाले शिक्षान्वित करने 'में सहायता पहुंचाना।
 (7) विज्ञान विषय में उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना।
 (8) रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम वा संचालन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
 (9) सह-चिकित्सा शिक्षा एवं आनुबंधिक औषधि का निर्माण करना।
 (10) अन्य संस्कृत वर्ग के बच्चों वाले शिक्षा प्रदान करना।
 (11) झुग्गी, बस्ती में निःशुल्क औद्योगिक बाटने को लिए औन्य लगाना।
 (12) खेलों वाले बढ़ावा देने एवं रेल-कूह वर्क प्रति जन जागृति करने का ध्यान करना।
 (13) खेलों वाले बढ़ावा देने वाले इंसेर स्टेडियम का निर्माण करना तथा उनका संचालन करना।
 (14) लखा खेलों जैसे स्थानिक, घासधारी आदि के लिए आवश्यक स्थिरिका पुल तथा आउट होर स्टेडियम का निर्माण करना तथा संचालन करना।
 (15) नमिति नए भारत तथा विदेशों में जाहा भी आवश्यक हो रोजगारोन्मुखी डोज नथा प्रशिक्षण, पिकिल्ता औद्योगिक भारतीय विपिल्ता उठाने, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, सभाज ज्ञान, कला भाष्य विज्ञान आदि विषय के पठाना-पाठ्य वा स्थापना, संचालन, संवायला करेगा। उपरोक्त उद्देश्यों को लपादन हेतु विभिन्न संस्थान, काउसिल, प्राधिकृत संस्थान, सरकारी विभाग एवं संवादी आदि से शिक्षा वाले पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक जिक्र व पहुंचियों संस्कृति संबंधित परिषदों आदि से आवश्यकता संबद्धता और मानवता प्राप्त करने हेतु भी आवश्यक बल्यवाही का सकेगी।
 नमिति मध्यपुर्व, भारत तथा तंत्रज्ञ विश्व में समाज के विभिन्न समुदाय, धर्मित, जनजाति आदि के मद्दत तथा कार्यों को करने हेतु समुदायिक भवन, हाल, जादी कराने का भवन, धर्मजाला बुम्गाँ के लिए ठिकापती मकान, व्यास्क शिक्षा, रात्रि विभाग घर, स्टेडियम, व्यायाम जाता, खेल प्रशिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय, पढ़ने का कहा, नर्गिस नृत्य, तथा सांस्कृतिक संग्रहालय एवं विद्यालय भी पुकार वा संस्थान की स्थापना, संचालन संपादन, गृजाशाला तथा सहायता मदद करना होगा। जिसने को जन समुदाय की उन्नति तथा उन्नयन हो सके।
 (16) ईशानीक, कला, सांस्कृतिक, सामाजिका तथा अन्य जैक्षणिक गतिविधियां जिसके माध्यम से सामाजिक कुरीतियों ढहेज प्रथा, बाल विवाह, बृद्धुआ मजदूरी, भीम, नशा के विनष्ट जन आदोसन तथा जन जागृति अभियान चलायेगी।
 (17) समिति समस्त जाति, धर्म, राष्ट्रीयता विद्यवाओं, बृद्ध स्त्री-पुरुष गरीबों तथा समाज से विरक मनुष्यों के पुनरुत्थान एवं जीवन चयन हेतु प्रशिक्षण के लिए समर्पण कार्य करेगी।

Sandeep

संस्थापकोहन

अध्यक्ष

चौहान एन्जुकेशन सोसायटी
भोपाल

संचिय

• Syed Sajid Ali
Secretary
Chouhan Education Society
Bhopal

Ahm

कोषाध्यक्ष

- (19) समिति किसी भी प्रकार के अनुमति दिएशाओं (भूकम्प, तृणाम, आधी सुनामी, सूख, महामारी, आगजनी, हवाई दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, समुद्री दुर्घटना भौं चिड़ियों को स्थाई/अस्थाई सहायता प्रदान करेगी। उक्त सहायता आर्थिक, चिकित्सीय रूपाद्य, कपड़े आवास के रूप में प्रदान करने का प्रयास करेगी।
- (20) समिति किसी भी शिशाविद जननायक या अन्य किसी भी विषय विशेषज्ञ या साधारण व्यक्ति को जो कि सामाजिक रुकुलियों, सामाजिक न्याय, सामुदायिक समन्वय, भावधारा, सौहार्दपूर्ण बानावरण आर्थिक उत्पन्न, संपैदानिक अधिकार आदि में विशेष ज्ञान रखता है को अमीरित कर उपरोक्त कार्य हेतु कार्यशाला, व्याख्यान, घाटविद्यालय, संमांग, प्रयोगशाला का आयोजन तथा लचालन करेगी।
- (21) समिति स्वेतकूद, सारीरिक दब्रता हेतु सभी स्तर पर स्वेतकूद प्रतियोगिता, स्थानेटिक प्रतियोगिता, स्वेत, मैथ, प्रतियोगिता का आयोजन कर सकेगी, उक्त आयोजन तथा उसके बढ़ाना हेतु समिति, उपकरण, यंत्र, स्वेत का भैवान, स्टेडियम व्याख्यान शाला, योग केन्द्र, आक्टोरियम का निर्माण तथा रखरखाव करेगी। समिति उक्त स्वेतकूद प्रतियोगिता का तालुक निलाराज्य, गढ़ अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन कर सकेगी।
- (22) समिति शारीरिक रूप से निशावत्त, नेवहीन, बहरे, गंगे, गरीब अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्य, पिछड़े नथा अन्य अर्थिक मध्य में पिछड़े नथा अन्य अर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को लिए प्रशिक्षण, ऐजेन्सर, आवास, चिकित्सीय सुविधा, बहु आवागमन अध्यया व्यायतन्वन हेतु जिक्षण तथा प्रशिक्षण हेतु कार्य करेगी तथा जैशिक संस्थान की स्थापना, लचालन तथा संवादन का कार्य करेगी।
- (23) समिति मध्यपुदेज तथा पूरे देश में कैसर एण्ड हेपेटाईटिस वी. तथा अन्य ज्ञानलेदा बीमारी के जांघ, इलाज, शोधा केन्द्र तथा संस्थान खोलेगी। समिति नेप्रेशन, रक्त दान, गुर्दाधान अध्यया किसी भी प्रकार के अंगों को दान करने हेतु ग्रोस्साहित करने जन आन्दोलन हेतु कार्य करेगी। उक्त बीमारी अध्यया लंगदान को ग्रोस्साहित करने हेतु टी.वी. सिनेमा तथा प्रसार नाथ्यन से जनप्रसार का कार्य करेगी।
- (24) समिति जन-जन में प्राकृतिक, बालावरण, साफ नफाई, सामाजिक सूखा, स्वास्थ्य अध्यया व्यविस्तरण तकार्य के बदला हेतु शृंखला-दृश्य, दूरदर्जन, धारावाहिक नार्यक्रम, सिनेमा आदि का निर्माण करेगी।
- (25) बंजर तथा बेकार जमीनों का समृद्ध व्यवहारिक उपयोगिता हेतु विभिन्न माध्यमों से कार्य करेगी।
- (26) समिति जानहिस यो कार्य हेतु जिस प्रकार से उद्धित समझे उपयुक्त न्यायालय, जारकीय अद्विजासकीय, निजी प्राधिकरण अथवा संस्थान कार्ययाही कर सकती है।
- (27) सामिति किसी भी ज्ञानकीय अद्विजासकीय गैर ज्ञानकीय सदस्यों व्यावसायिक भरानों अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वाक वित्तीय संस्थानों तथा किसी भी अन्य विधिक वैमितक से जन अनुदान भरण पुरास्कार जूँ किसी भी अल अचल सम्पत्ति के रूप में समिति यो उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु चाहिये प्राप्त कर सकती है।
- (28) समिति के उद्देश्यों अध्यया कार्यों को पूर्ण करने हेतु समिति किसी भी प्रकार की जमीन, घर/अचल संपत्ति के रूप में प्राप्त कर सकती है। समिति किसी भी रूप में संपत्ति को विक्री, मार्गेज, तबादला, उन्नत सुधार, संचालन, संपादन, रखरखाव कर सकेगी।
- (29) समिति किसी भी प्रकार का पुत्तक, पार्ट भैगजीन, जर्नल पालिका, समाचार पत्र तथा अन्य पुस्तकान एन्ट्रूजन, अंग्रेजी तथा विनी भी भाषा में कर सकती है।
- (30) समिति अन्य उद्देश्यों यो पूर्ति के लिए कर्मचारियों व्यक्तियों को स्थाई/अस्थाई सेवा प्रदान कर सकती है। ऐसी स्थिति में समिति अपने कर्मचारी का निर्धारित वेतन भत्ता, भविष्य निधि, जीवन भविष्य निधि, कल्याण निधि जूँ कि कर्मचारी तथा उनके उपर आंशकत परियार के व्यक्तियों का प्रदान कर सकती है।
- (31) समिति अपने उद्देश्यों के प्रतिष्ठृति हेतु किसी भी प्रकार का कार्य / कार्यक्रम / समारोह कर सकती है जिससे की समिति के उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्ण करने में योगदान प्राप्त हो सके।
- (32) समिति के समस्त प्रकार के आप, स्पोत घर / अप्ल संपरिस आदि योगल समिति के उपरोक्त जिलियन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है।

Syed Sajid Ali

आम्रपाल

संस्कृतीय चीह्वा

अध्यक्ष

चौहान एज्युकेशन सीटीएसी

पोषाल

Mo

सचिव

Syed Sajid Ali

Secretary

Chauhan Education Society

Bhopal

Adm

कोषाध्यक्ष

4. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा अनुरूपित कर्तव्यों का प्रबंध शाराक परिषद सभा या शासकीय निकाय को सौंपा गया है जिनके पते ए घन्धों का उत्तरेख निम्नांकित है :-

क्र.	नाम	पद	पूर्ण पता	घन्धा
1.	श्री संदीप चौहान	अध्यक्ष	टी-२४४, बेहल नगर कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल म.प्र.	व्यवसाय
2.	श्री संजय चौहान	उपाध्यक्ष	३३७४ बसंत कुंज नई दिल्ली	सम्पादक
3.	कु. चंदना चौहान	सचिव	टी. १२५, शास्त्री नगर, भोपाल	गृहणी
4.	श्री प्रभात शर्मा	कोषाध्यक्ष	४५/३। साउथ टी.टी. नगर भोपाल	व्यवसाय
5.	श्री संतोष रायकवार	संचयक सचिव	४६/३। साउथ टी.टी. नगर भोपाल	हॉटर
6.	श्री अजय गुप्ता	सदस्य	६३, गुर्जरपुरा, भोपाल	व्यवसाय

5. इस ज्ञापन पत्र के स्वयं समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसाकि म.प्र सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (१९७३ का ४४) की धारा ५ की उप धारा (१) के अधीन अपेक्षित है संलग्न है।

इस अनेक व्यक्तियों जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं, तभा इन पत्र पर निम्नांकित राशियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्र.	नाम	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री संदीप चौहान	टी-२४४, बेहल नगर कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल म.प्र.	Sd/-
2.	श्री संजय चौहान	३३७४ बसंत कुंज नई दिल्ली	Sd/-
3.	कु. चंदना चौहान	टी. १२५, शास्त्री नगर, भोपाल	Sd./
4.	श्री प्रभात शर्मा	४५/३। साउथ टी.टी. नगर भोपाल	Sd./
5.	श्री संतोष रायकवार	४६/३। साउथ टी.टी. नगर भोपाल	Sd./
6.	श्री अजय गुप्ता	६३, गुर्जरपुरा, भोपाल	Sd./
7.	श्री आशुतोष अद्वयी	७४/१७ साउथ टी.टी. नगर भोपाल	Sd./

पृष्ठ २४० पात्रावाल निवासी विनियम
विनायक २५ अप्र० सदा पता
मृ. वृक्ष वस्त्रावालों की विवरण दिए
नामी लाली की विवरण १५
कृपया यह चम्पारे करें
कृपया यह चम्पारे करें

साक्षी

हस्ताक्षर : Sd/-
नाम : रामा सिंह चौहान
पूरा पता : जू. एम.आई.जी.- ९४।
कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल

Sandeep
अध्यक्ष

चौहान रायकवार समिति
भोपाल

Syed Sajid Ali
Secretary
Chouhan Education Society
Bhopal

Ashu
कोषाध्यक्ष

३

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये



FIVE RUPEES

Rs.5

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL


मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

66591

01AA 958307



16/202



भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

रु.5



FIVE RUPEES


Rs.5

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

01AA 958308



नियमावसी

संशोधित

१. समिति का नाम चौहान एज्युकेशन सोसायटी होगा।
२. संस्था का कार्यालय डी-२६८, नेहरू नगर, कोटा सूल्तानाबाद तह, हुजुर जिला भोपाल मध्य रिपब्लिक होगा।
३. संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा।
४. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे -

 - (१) शिक्षा का प्रशासन प्रचार करना।
 - (२) आर्थिक रूप से पिछड़े एवं अनुजाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।
 - (३) महिला एवं बाल विकास कल्याण का कार्यक्रम।
 - (४) पर्यावरण एवं प्रदूषण नियन्त्रण हेतु सृजनशीलता का कार्य एवं उपयोगी शिक्षा देना।
 - (५) इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्प्यूटर के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान कर औरोगिक खेत्रों के लिए उपर्युक्त शिक्षा प्रशिक्षण।
 - (६) जास्तीय नीतियों को क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान।
 - (७) विज्ञान विषय में उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना।
 - (८) गोजगरोन्मुखी पाठ्यक्रम का संचालन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
 - (९) सह-चिकित्सा शिक्षा एवं आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण करना।
 - (१०) अन्य संख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना।
 - (११) बुगी, बल्टी में निःशुल्क औषधि बांटने के लिए काम्य समर्पण।
 - (१२) स्लेटों को बढ़ावा देने एवं रेल-कूट के प्रति जन जागृति करने का प्रयास करना।
 - (१३) स्लेटों को बढ़ाने हेतु इंडोर स्टेटियम का निर्माण करना तथा उनका संचालन करना।
 - (१४) संस्था स्लेटों जैसे रियमिंग, घुइस्तवारी आदि के लिए आवश्यक स्थिमिंग पूल तथा आउट डोर स्टेटियम का निर्माण करना तथा संचालन करना।
 - (१५) समिति मध्य भारत नथा विदेशों में जहाँ भी आवश्यक हो गोजगरोन्मुखी औषध नथा प्रशिक्षण, विकित्सा प्रोसेगिक भारतीय विकित्सा पद्धति, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, समाज जात्र, कला भाष्य विज्ञान आदि विषय के पठ्ठण-पाठ्यक्रम का स्थापना, संचालन, सहायता करेगा। उपरोक्त उद्देश्यों के संपादन हेतु विभिन्न संशिक्षा, काउन्सिल, प्राधिकृत संस्थान, सरकारी विभाग एवं भ्रातालयों आदि से शिक्षा के पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक शिक्षण पद्धतियों गांधीजी गांधीजी परिषदों आदि रो आवश्यकता संबद्धता और मान्यता प्राप्त करने हेतु भी आवश्यक कार्यवाही कर सकेगी।
 - (१६) समिति नध्यपुरेश, भारत नथा संस्कृ-प्रेषण में सहायता को विभिन्न समुदाय, व्यवित, जनजाति आदि के मद्दत सभा गांधीजी को करने हेतु समुदायिक भवन, हाल, शारीर कराने का भवन, धर्महाला बुजार्गों के लिए रिहायर्सी भवन, व्यस्क शिक्षा, रुचि विकास घर, स्टेटियम, व्यायाम घाला, रेल प्रशिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय, पढ़ने का कक्ष, संगीत नृत्य, नथा सांस्कृनिक रंगशाला एवं विसी भी गुवाह का संस्थान की स्थापना, संचालन संभालन, गोजशाल संहायता भवन करना होगा। जिससे की जन समुदाय की उन्नति तथा उत्थान हो सके।
 - (१७) शैक्षणिक, कला, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियां जिसके माध्यम से सामाजिक कुरीतियों देहन प्रथा, बाल विवाह, बंधुआ भजदूरी, भीत्र, नशा को विरुद्ध जन आंदोलन तथा जन जागृति अभियान चलायेगी।
 - (१८) समिति समाज नाति, धर्म, चाष्ट्रीयता विद्याओं, वृद्ध स्त्री-पुरुष मरीबों तथा समाज से विरक मनुष्यों के पुनरुत्थान एवं जीवन चयन हेतु प्रशिक्षण के लिए समास्त कार्य करेगी।

Sauder

राष्ट्रीय शिक्षा

अध्यक्ष

चौहान एज्युकेशन सोसायटी
भोपाल*M.*

सचिव

Syed Sajid Ali
Secretary
Chouhan Education Society
Bhopal*Ash*

कोषाधारक

- (19) समिति किसी भी प्रकार के अनुरूपति विपरीतों, (भूकम्प, तृकान, आधी सुनामी, सूख, महामारी, आगजनी, इवाई दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, लम्ही दुर्घटना) में शिक्षियों को स्थाई/अस्थाई सहायता प्रदान करेगी। उबल सहायता आर्थिक, विकासीय खाली, कर्मचार आवास के रूप में प्रदान करने का प्रयत्न करेगी।
- (20) समिति किसी भी शिक्षाविद जननवाक मा अन्य किसी भी विषय विद्येश या लाभारण व्यक्ति को जो कि सामाजिक कृहतियों, सामाजिक न्याय, ग्राम्याविक समन्वय, भावनाएं, सौहारण्य बानावरण आर्थिक उत्पादन, स्वैच्छानिक अधिकार आदि में विशेष ज्ञान रखता है को आमंत्रित कर उपरोक्त कार्य हेतु कार्यक्रम, च्यास्यान, वाटविकाद, समवय, प्रदेशशासा वा आयोजन तथा संचालन करेगी।
- (21) समिति खेतकूद, ज्ञानीरिक दक्षता हेतु सभी स्तर पर सेलकूद प्रतियोगिता, स्पोर्टिक प्रतियोगिता, खेत, नैच, प्रतियोगिता का आयोजन कर सकेगी, उबल आयोजन तथा उसके बढ़ाना हेतु समिति, उपकरण, यंत्र, खेत का बैठान, नटेडिन खायान जाता, योग केन्द्र, आयिटेरियम का निर्माण तथा रखरखाव करेगी। समिति उबल खेतकूद प्रतियोगिता वा तातुक तिता यन्य, गन्दु अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन कर सकेगी।
- (22) तमिति ज्ञानीरिक कार्य से निश्चयत, नेतृत्व, बहरे, गंगे, गरीब अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्य, पिछड़े तथा अन्य आर्थिक इन ने लिछड़े नवा अन्य आर्थिक रूप से लिछड़े व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण, रोजगार, आवास, विकिसांप संविधा, बस्त्र आवागमन अथवा स्वावलम्बन हेतु शिक्षण तथा प्रशिक्षण हेतु कार्य चलेगी तथा शैक्षणिक गरण्यान की रूपानना, संचालन तथा सामाजिक कार्य करेगी।
- (23) समिति भाष्यपटेज तथा पुरे देश में कैमर एण्ड हेपेटाईटिस वी तथा अन्य जानलेवा बीमारी के जौंघ, इलाज, जोधा केन्द्र तथा संस्थान लोकेगी। समिति नेतृत्व, रघन दान, गुर्दान अथवा किसी भी प्रकार के अंगों को दान करने हेतु प्रोत्साहित चलने जन आनंदोजन हेतु कार्य करेगी। उबल बीमारी अथवा अंगदान को प्रोत्साहित चलने हेतु टी.वी. सिनेमा तथा प्रसार भाष्यम से जनप्रसार का कार्य करेगी।
- (24) समिति जन-जन में प्राकृतिक, बातावरण, साफ सफाई, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य अथवा व्यक्तिगत सफाई के बढ़ावा हेतु भूप्य-दृश्य, दूरदर्शन, धारावाहिक चार्फ्रून, सिनेमा आदि का निर्माण करेगी। बजर तथा बेकार जनीनों का समृद्ध व्यवहारिक उपयोगिता हेतु विभिन्न भाष्यमों से कार्य करेगी।
- (25) समिति जनहित के कार्य हेतु जिस प्रकार से उचित समझे उपयुक्त न्यायालय, ज्ञास्वीय अर्द्धज्ञास्वीय, निजी प्राधिकरण अथवा संस्थान कार्यवाही कर सकेगी।
- (26) समिति किसी भी ज्ञास्वीय अर्द्धज्ञास्वीय गैर ज्ञास्वीय संस्थाओं व्यावसायिक घरानों अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों बीक वित्तीय संस्थानों तथा किसी भी अन्य विधिक वैधिक से दान अनुदान द्वारा पुरावार जो किसी भी दान अद्यत सम्पत्ति के रूप में समिति को उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु याहिये प्राप्त कर सकती है।
- (27) समिति के उद्देश्यों अध्यक वर्षों को पूर्ण करने हेतु समिति किसी भी प्रकार की जनीन, घर/अपन संपत्ति के रूप में प्राप्त कर सकती है। समिति किसी भी रूप में संपत्ति को विक्री, नार्हेज, लकड़ा, उन्नत सुधार, संचालन, संपादन, बहारलाव कर सकती है।
- (28) समिति किसी भी प्रकार का एस्टक, चार्ट नेटवर्क, जर्नल पाशिक, समाचार पत्र तथा अन्य प्रकारजन राष्ट्रगण, अर्द्धज्ञास्वीय किसी भी भाषा में कर सकती है।
- (29) समिति अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों व्यक्तियों को स्थाई/अस्थाई भेदा प्रदान कर सकती है। ऐसी स्थिति में समिति अपने कर्मचारी का निर्धारित बेतन भला, भविष्य निधि, औषध भविष्य निधि, कल्याण निधि जौ कि कर्मचारी तथा उनके उपर आविष्ट परिवार वे व्यक्तियों का प्रदान कर सकती है।
- (30) समिति अपने उद्देश्यों के प्रतिपूर्ति हेतु किसी भी प्रवार जा कार्य / चार्फ्रून / समारोह कर सकती है। जिससे की समिति के उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्ण करने में योगदान प्राप्त हो सके।
- (31) समिति के समस्त प्रकार के आय, स्वेच्छा अथवा संपत्ति आदि के बाल समिति के उपरोक्त लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है।



Sunday
अध्ययन

संटीप नीमान

आगाम

चौहान एज्युकेशन सोसायटी

ग्रामान

Syed Sajid Ali
Secretary,
Chouhan Education Society
Bhuj

कोशाल्या

5. सदस्यता :- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे।
- (अ) संरक्षण सदस्य :- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये 2500 अधिक एक न्यूनता या एक साल में बारह किसीमें दाना वह समिति का संरक्षण सदस्य होगा।
- (ब) आजीवन सदस्य - जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रुपये 1000 अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा और भी आजीवन सदस्य रुपये 1500 या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।
- (स) साधारण सदस्य - जो व्यक्ति रुपये 50 प्रतिमाह या रुपये 600 प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में दोनों वह साधारण सदस्य होंगा। साधारण सदस्य बैठक उसी अधिकारी के लिये सदस्य होगा। जिसके लिये उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक बारणों के छह माह तक देय चंदा नहीं देगा वह उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र तथा बकाया चंदे की संशोधने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।
- (द) सम्मानित सदस्य - संस्था की प्रबंधाकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं। परन्तु उनको भत्ता देने का अधिकार न होगा।

6. सदस्यता की प्राप्ति - प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति कर सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी निमिति को प्रस्तुत होगा जिसके अवेदन पत्र को स्वीकार करने का अमान्य बताने का अधिकार होगा।

7. सदस्यों की घोग्यता - संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित घोग्यता होना आवश्यक है :-

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो (2) भारतीय नागरिक हो (3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिश्वासा को हो (4) बदबूदित्र हो मदापान न करता हो।

सदस्यता की समाप्ति - संस्था की सदस्यता निम्नलिखित लिखित में समाप्त हो जावेगी।

(1) मृत्यु हो जाने पर (2) पांगल हो जाने पर (3) संस्था का देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर (4) त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर (5) चरिक दोष होने पर और कार्यकारिणी तमिति के नियमानुसार निवाल दिये जाने पर जिसके नियम पारित हो जाने की सूचना सदस्य की लिखित रूप में देना होगी।

8. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजीय रखी जावेगी जिसमें निम्न व्यारे दर्जे लिये जायेगे।

- (1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय
- (2) वह तारीख जिसको सदस्यों की पुष्टि दिया गया हो व रसीद नं.
- (3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुयी हो।

10.(अ) साधारण सभा :- साधारण में नियम 5 में चक्षित श्रेणी के सदस्य होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक वह गाह तथा बैठक का रथान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चयन या 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक वह कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आमसभा

अध्यक्ष
संदीप चौहान

अध्यक्ष
चौहान एजुकेशन सोसायटी
भोपाल

सचिव
Syed Sajid Ali
Secretary
Gholahan Education Society
Bhopal

कोपाध्यक्ष

पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुत्तापी जापेगी। उनसे संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आजीवन किसी भी समय नहीं दिया जाता है तो पंजीयन को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के नाम दर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव लड़ाया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी जमा - प्रबंधकारिणी जमा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिशावाल से सात दिन पूर्व कार्यकारिणों के पुल्पेक सदस्य को भेजी जानी होगी। बैठक में कोरम $1/2$ सदस्यों की होगी यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होगा तो बैठक एक गणे के लिये स्थगित की जायेगी उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स)विशेष - यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) 2 / 3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से चेठक बुलायी जावेगी। विशेष संबन्ध पारित हो जाने पर उनके दर्शाये गिरण पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 4 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक इन संबंध में आवश्यक निटेंश जारी करने तथा समिति के प्राप्तगई देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य - (क) सम्मेलने वर्ष का चार्पिंक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना। (ख) संस्था की स्थायी निधि व संपदित की ठोक व्यवस्था करना। (ग) महीलाओं को नियुक्त करना। (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रत्यक्ष हो। (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं को आप व्यव गतों के त्वीकृत करना। (छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. प्रबंधकारिणी का गठन-ट्रस्टीज यदि कोई भी समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (ब, व, स) में दर्शाये गये सदस्यों जिन के नाम पूँजी रजिस्ट्रर में दर्ज हो चेठक में चहुगत के आधार पर निम्नान्वित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।
 (1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोपाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य-2
 प्रबंध समिति का कार्यकाल - प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। समिति का प्रबंध करण होने पर उस समय तब तब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी परन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसकी अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

13. प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य -
 (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इसकी आशय वी सूति हेतु व्यवस्था करना।
 (ब) पिछले वर्ष का आप व्यव वा सेवा पूर्णत परीक्षत किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के सापेक्ष प्रति वर्ष साधारण सभा की चेठक में प्रस्तुत करना।

14.

Sandeep
अध्यक्ष

संग्रह

 Syed Sajid Ali
 Secretary
 Chouhan Education Society

- (स) समिति एवं उसके उम्मीदवाले संस्थानों के कर्मचारियों के बेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चाल अचल सम्पत्ति पर जगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
- (द) कर्मचारियों जिक्षकों खोटि की नियुक्ति करना।
- (इ) अन्य अध्यक्षक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय समय पर सौंपे जाये।
- (घ) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से होगी।
- (ज) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति रजिस्ट्रार की लियित अनुमा को बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा वर्णित या अंतरित नहीं की जायेगी।
- (ज) विशेष बैठक आगाहि कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श वार साधारण सभा वो विशेष बैठक में उनकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुछ नवत्यों 2/3 भत्ते से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयन के अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।
15. आयक्ष के अधिकार - आयक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में कार्यकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। आयक्ष का भत्ते विचाराचे विषयों में निर्णय नहीं होगा।
16. उपाध्यक्ष के अधिकार - आयक्ष वो अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों वो अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।
17. सचिव (मंत्री) के अधिकार - (1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन एवं तथा सुनाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करेगा।
 (2) समिति का आप व्यव का लेला परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना। (3) समिति के बारे कागजार्तों वो तैयार करना तथा करवाना। उसका अनियन्त्रिता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।
 (4) सचिव को किसी कार्य के लिय एक समय में रुपये 1000 फरने का अधिकार होगा।
18. सचिव की अनुपस्थिति में सह-सचिव कार्य करेगा।
19. कोषाध्यक्ष के अधिकार - समिति वो धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यव करना।
20. बैंक खाता - संस्था की नमस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगा। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यव हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 1000 रहेंगे।
21. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी - अधिनियम की घरा 27 के अन्तर्गत संस्था को वार्षिक आगामा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप में कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा घरा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगा।

Sajid
अध्यक्ष

सदौप्र नामान

प्राप्ति

पाठ्यन सामाजिक शास्त्राचारी
विषय

सचिव

Syed Sajid Ali
Secretary
Chouhan Education Society
Bhopal

Abu

कोषाध्यक्ष

22. संशोधन - संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मत से पारित होगा यदि अवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फँस्सी एवं संस्थायें को होगा जो प्रत्येक सदस्य को भान्य होगा।

23. विधट्टन - संस्था का विधट्टन साधारण सभा में कुल सदस्यों को 3/5 मतों से पारित किया जावेगा। विधट्टन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी सभाग उद्देश्यों पाली संस्था का तौप थी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

24. सम्पत्ति - संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार पास्सी एवं संस्थायें की लिखित अनुमा के बिना पिछले द्वारा दान द्वारा या अन्यथा पुकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।

25. बैंक खाता - संस्था की गणतन निति किसी अनुनूपित बैंक या एमट ऑफिस में खाता खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की पुकिया जारी रहेगी।

26. पंजीयक द्वारा बैठक खुलाना - संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न खुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फँस्सी एवं संस्थायें की बैठक खुलाने वा अधिकार होगा साथ ही यह बैठक में विवारण विषय निश्चित वर रखेगा।

विवाद - संस्था में किसी प्रकार वा विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा यदि इस निवित या निर्णय के पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय को लिखे भेज सकेगे। रजिस्ट्रार जो निर्णय अद्वितीय सर्वगत्य होगा। संस्थातिन सभाओं में विवाद अपवा प्रबंध मन्त्रिति को विवाद उत्पन्न होने पर अतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।



प्रसारित नियम
नियम १५० वार्षिक वर्ष
नियम १५१ वार्षिक वर्ष
वार्षिक वर्ष १५० वार्षिक वर्ष
नारी होमे की विवाह १५१

Sundays
अध्यात्म
सदोप धौहान
अध्यात्म
धौहान एजुकेशन सोसायटी
भोपाल


सचिव

Arsh
कोषाघ्रस

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

₹.5



FIVE RUPEES

Rs.5

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

01AA 958305



15-10-2011

मध्य प्रदेश वर्तीयक
गवर्नर एवं राज्यालय, म.प.

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

₹.5



FIVE RUPEES

Rs.5

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

01AA 958306



प्रारूप सात (नियम 11 देखिये)

1248/23

07/08/2023

रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटी को मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की
धारा 27 के अधीन शासी निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देशन पत्र (प्रोफार्मा)

1. स्थान का नाम व पूरा पता — चौहान एजूकेशन सोसायटी
64, अमलतास कालोनी, फेस-2, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)
2. पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक — 665 / 91 दिनांक 31.08.1991
3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख — 10 / 07 / 2023

विद्यमान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल तारीख 10.07.2023 से 11.07.2026 तक



पिता / पति का नाम	पूर्ण पता	पद का नाम	व्यवसाय	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर
श्री संदेश चौहान पुत्र रवि श्री रामपाल सिंह चौहान	64, अमलतास कालोनी, फेस-2 चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल	अध्यक्ष	व्यवसाय	9826065507	Sandeep
श्रीमती लतिका चौहान पति श्री संदीप चौहान	64, अमलतास कालोनी, फेस-2 चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल	उपाध्यक्ष	एडवोकेट	9826038006	Lata
श्री सं. साजिद अली पुत्र रवि श्री साहिब अली	ई-8 / 42, भरत नगर, भोपाल	संचिव	एडवोकेट	9826862436	Sajid
श्रीमती फौजिया अली पति सं. साजिद अली	ई-8 / 42, भरत नगर, भोपाल	सह-संचिव	व्यवसाय	9425007192	Fazia
श्री आशुतोष अवस्थी पुत्र श्री आर.पी. अवस्थी	20, उत्तरपति शिवाजी कालोनी, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल	कोषाध्यक्ष	एडवोकेट	9893388446	Ashu
कुमुदी चौहान पुत्री श्री संदीप चौहान	64, अमलतास कालोनी, फेस-2 चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल	सदस्य	व्यवसाय	9425008001	Devi
श्री सं. मोहसिन अली पुत्र श्री सं. साजिद अली	ई-8 / 42, भरत नगर, भोपाल	सदस्य	व्यवसाय	7987887988	Mohsin

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की संलग्न धारा-27 के अधीन सूची वार्षिक फीस रूपये
— चालान क्रमांक 05/1999999/00605 दिनांक 07/08/23 द्वारा जमा कर दी गई है। चालान की मूलप्रति सलग्न
है। 08/08/2023/00605।

// घोषणा //

मैं, श्री संदीप चौहान पुत्र रवि, श्री रामपाल सिंह चौहान आयु 59 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद
द्वारा घोषणा करता हूँ कि, उपयुक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठम् जानकारी
के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझे अधोहस्ताक्षरयुक्त प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मैं यह जानता
हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन
दण्ड का दायी रहूँगा। मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सत्य है और मैं यह जानता हूँ कि कोई मिथ्या जानकारी
देना अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन दण्डनीय होगा।

Sandeep

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संदीप चौहान)
की धारा 20 के तहत प्रतिलिपि

चौहान एजूकेशन सोसायटी, भोपाल
मोबा. 9826065507

ई-मेल chairmanrgc@rediffmail.com

(संजय सोठी)
अधिकारी

फर्म्स एवं संस्थाएं

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (भाग)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यपव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BS 232982



ज्ञान एक रुपा लोकायत कानून
संस्था पंजीयन कामान
65 विधान 31/8/91 के नाम से विधान 7/8/23 को
प्रस्तुत मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की
धारा 27 की जाकरी की प्रतिलिपि छेत्र धारा 29 के तहत
दिनांक 7/8/23 को आवेदन प्रस्तुत किया गया।
धारा 27 के तहत प्रस्तुत शासी निकाय बीमा राज्य और वित्त नियमों
के संबंध में प्रस्तुत कर्ता पदाधिकारी रवंय उत्तरदायी है। जाकरी का
दबारा धारा 29 के तहत केबल प्रतिलिपि पदाधिकारियों को दर्शायें।
धारा 29 के तहत जाकरी प्रतिलिपि पदाधिकारियों को दर्शायें।
के संबंध में ब्राह्मण—पत्र आवेदा नहीं है।

असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्मेस इवे राज्यालय

भोगल—नर्मदापुरम संगाम, भोगल